हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, 251-A का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-12-19 से ही दर्ज है लंबित अवधि बीत चुकी है उभयपक्षकारान दिनांक 18-11-21 को समस्त दस्तावेज / प्रार्थनापत्र / इत्यादि पेश हो अन्यथा प्रा-पत्र का नियमानुसार निर्णय किया जायेगा। दोनो पक्षकारान सूचित रहे। पत्रावली दिनांक 18-11-21 को पेश हो।	
18/11/21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23.11.21 को पेश हो। विपक्षीगण 1 व 2 की आपत्ति प्रा-पत्र धारा 151 जा.दी. पेश किया रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
23/11/21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, वकील विपक्षी सं. 1 लगायत 02 की ओर से प्रस्तुत प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाता है, वास्ते पत्रावली मे पेश होने दस्तावेज एंव बहस हेतु नियत दिनांक 2-12-21 को पेश हो।	
2-12-21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज सूची मय दस्तावेज, फोटो पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किये गये उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 16-12-21 को पेश हो	
16-12-21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील	

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी न० 8161 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण से० 01 लगायत 04 की आराजी नं० 8119, 8148, 8156 मे से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

जब कि विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता नही है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी की आराजी न० 8161 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विधमान नही है, एंव वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत;

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं० 8161 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है, एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की आराजी नं॰ 8119 8148, 8146 मे से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, आराजी नं॰ 8119 की पूर्वी दिशा एंव आराजी नं॰ 8148 की पूर्वी दिशा व आराजी नं॰ 8146 की उत्तरी पूर्वी दिशा की मेड के सहारे-सहारे रास्ता कायम किया जावे। 10 फीट चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी सं॰ 01 लगायत 04 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कमी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा